

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर/गया ।

पटना, दिनांक :- 21-12-16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी.2230017890102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2257 दिनांक-24.5.16 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है।

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ(28-01) से राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹10,000/- (रू. दस हजार) मात्र की दर से उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1640 दिनांक-28.10.16 के आलोक में 03 एवं श्रम अधीक्षक, गया के पत्रांक-1322 दिनांक-30.11.16 के आलोक में 87 विमुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए	सामग्री एवं पूर्तियाँ(21 01) इकाई से रू. 1500/- 30 दिन के राशन एवं रू. 500/- भोजन नास्ता, वस्त्र एवं दवा हेतु प्रति बंधुआ मजदूर की दर से उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1640 दिनांक-28.10.16 के आलोक में 03 एवं श्रम अधीक्षक, गया के पत्रांक-1322 दिनांक-30.11.16 के आलोक में 87 विमुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए	कुल आवंटित राशि कॉलम (3+4)
1	2	3	4	5
मुजफ्फरपुर	3	30000	6000	36000
गया	87	870000	174000	1044000
	90	900000	180000	1080000

कुल आवंटित राशि ₹ 10,80,000 (₹ दस लाख अस्सी हजार) मात्र

3. यह आवंटन कुल वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.3.16, पत्रांक-4572/वि0 दिनांक-3.6.16 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

6. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

21/12/16

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

124

पटना, दिनांक

21-12-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

21/12/16

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0

124

पटना, दिनांक

21-12-16

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ *संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ सहायक श्रमायुक्त(शोध)एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं-355 एवं 365(श्रमपक्ष) दिनांक-07. 12.16 एवं 16.12.16 के आलोक में/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित शाखा (प्रशाखा-1) द्वारा किया जायेगा।

21/12/16

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

124

पटना, दिनांक

21-12-16

प्रतिलिपि:- आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/12/16

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।